रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042024-253476
CG-DL-E-01042024-253476

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 30, 2024/चैत्र 10, 1946
No. 93] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 30, 2024/CHAITRA 10, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2024

(मामला संख्याः ए डी (ओआई) -05/2024)

विषय: कतर और ईरान में उत्पन्न या निर्यात किए गए लीनियर एल्काइल बेंजीन (एलएबी) के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/05/2024-डीजीटीआर.—1. मेसर्स तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड और मेसर्स निरमा लिमिटेड (इसके बाद आवेदक के रूप में संदर्भित) ने समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिस आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के नियमों के अनुसार निर्दिष्टि प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें कतर और ईरान (इसके बाद "विषय देशो " के रूप में संदर्भित) से उत्पन्न या निर्यात किए गए लीनियर एल्काइल बेंजीन (एलएबी) (इसके बाद 'संबंधित वस्तु' या 'विचाराधीन उत्पाद' के रूप में संदर्भित) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और उचित पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबंधित देशो में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और भौतिक क्षति का खतरा हो रहा है और उन्होंने संबंधित देशो से संबंधित वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद "लीनियर एल्काइल बेंजीन" है। इसे आमतौर पर व्यावसायिक भाषा में लीनियर एल्काइल बेंजीन या एलएबी के नाम से जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद में मिश्रित अल्काइल बेंजीन शामिल हैं, और विशेष रूप से मिश्रित अल्काइल नेफ़थलीन शामिल नहीं हैं।

4. एलएबी एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5CnH2n+1 है। आमतौर पर, 'एन' 10 और 16 के बीच होता है। यह एक रंगहीन और गंधहीन तरल है, और पानी में थोड़ा घुलनशील है। इसे एक ज्वलनशील रासायनिक उत्पाद माना जाता है। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध एलएबी कार्बन परमाणुओं की एक श्रृंखला से जुड़े बेंजीन रिंग से बने पदार्थों का मिश्रण है। इस प्रकार, विभिन्न आइसोमर संभव हैं क्योंकि बेंजीन रिंग टर्मिनल कार्बन को छोड़कर एल्काइल श्रृंखला के सभी कार्बन पर स्थित हो सकती है।

माप की इकाई

5. उत्पाद को आम तौर पर किलोग्राम या एमटी में वजन से मापा जाता है।

उपयोग

6. विचाराधीन उत्पाद एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग कपड़े धोने के डिटर्जेंट, लाइट-ड्यूटी डिशवॉशिंग तरल पदार्थ, औद्योगिक क्लीनर और घरेलू क्लीनर के उत्पादन के लिए किया जाता है।

7. एलएबी के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख कच्चे माल केरोसीन, निकाले गए पैराफिन और बेंजीन हैं। पैराफिन को हाइड्रोबोन मोलेक्स प्रक्रिया का उपयोग करके फीडस्टॉक केरोसिन से निकाला जाता है। उच्च तापमान पर चयनात्मक डिहाइड्रोजनीकरण द्वारा ये पैराफिन अपने ओलेफिन में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर ओलेफिन को बेंजीन में एल्काइलेट किया जाता है, जिससे लीनियर एल्काइल बेंजीन बनता है

टैरिफ वर्गीकरण

8. विषय वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ की अनुसूची I के अध्याय 38 के तहत वर्गीकृत किया गया है और इसका समर्पित कोड 3817 00 11 हैं। हालांकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण कोड केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

सीमा शुल्क

9. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची I के तहत संबद्ध वस्तुओं पर 7.5% का मूल सीमा शुल्क लगता है।

ख. समान वस्तु

10. आवेदकों ने कहा है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदकों द्वारा उत्पादित और ईरान और कतर से आयातित वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और विषय वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। आवेदकों द्वारा निर्मित विषय वस्तुएँ और वस्तुएँ तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि पीयूसी के उपभोक्ता संबद्ध वस्तुओं और आवेदकों द्वारा निर्मित वस्तुओं का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच के लिए, प्रथम दृष्टया आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु ईरान और कतर से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु है।

ग. पीसीएन पद्धति

11. वर्तमान में, आवेदक ने किसी भी पीसीएन को अपनाने का प्रस्ताव नहीं दिया है। प्रथा के अनुसार, सभी इच्छुक पक्षों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के बाद पीसीएन पद्धति पर निर्णय लिया जाएगा।

12. वर्तमान जांच में शामिल पक्ष पीयूसी पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं और प्राधिकरण के समक्ष दायर दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 15 दिनों के भीतर पीसीएन, यदि कोई हो, प्रस्तावित कर सकते हैं।

घ. विषय देश

13. ईरान और कतर से आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए जांच शुरू करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया गया है।

ङ. जांच की अवधि

14. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023(12 महीने) है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 और पीओआई की अवधि शामिल है ।

च. घरेलू उद्योग और स्थिति

15. आवेदन तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड और निरमा लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। याचिका में दी गई जानकारी के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) भारत में लीनियर अल्काइल बेंजीन का उत्पादन करने वाले अन्य उत्पादक हैं।

16. याचिका में प्रस्तुत प्रथम दृष्टया तथ्यों के अनुसार, घरेलू उद्योग का कुल उत्पादन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इसलिए, आवेदक पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 5 (3) के साथ पढ़े गए नियम 2 (बी) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग है।

छ. कथित पाटन का आधार

क. ईरान और कतर के लिए सामान्य मूल्य

17. आवेदकों ने कहा है कि उनके पास ईरान और कतर में घरेलू बिक्री मूल्यों तक पहुंच नहीं थी और वे लेन-देन की कीमतों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ थे, जिस पर ईरान से तीसरे देशों में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा, आवेदकों ने ट्रेड मैप से ईरान से निर्यात और आयात से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं थी क्योंकि ईरान और कतर अपने निर्यात या आयात डेटा प्रकाशित नहीं करते हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों के लिए उचित रूप से समायोजित उत्पादन लागत के अनुमान के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया है

ख. निर्यात मूल्य

18. संबद्ध वस्तु के लिए निर्यात मूल्य की गणना डीजीसीआई & एस लेनदेन-वार आयात डेटा के आधार पर की गई है। उचित मूल्य समायोजन का दावा किया गया है कि कीमतों को पूर्व-कारखाना स्तर पर बनाया जाए ताकि वे सामान्य मूल्य के साथ तुलनीय हो जाएं।

ग. पाटन मार्जिन

19. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्ट्री स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबद्ध देशों से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध

20. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदकों द्वारा दी गई जानकारी पर विचार किया गया है। आवेदकों ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में सबूत प्रस्तुत किए हैं, जो पूर्ण रूप से पाटित किए गए आयात की बढ़ी हुई मात्रा और भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में, मूल्य कटौती, मूल्य कम बिक्री और मूल्य दमन और घरेलू उद्योग पर निराशाजनक प्रभाव के रूप में हुई है। आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग के लिए हानिकारक मूल्य पर विचाराधीन उत्पादों के आयात में वृद्धि के परिणामस्वरूप बिक्री, लाभप्रदता, निवेश पर रिटर्न, इन्वेंट्री के संचय और क्षमता उपयोग के संबंध में उनके प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है।

झ. पाटन रोधी जांच की शुरुआत

21. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबंधित देशों में उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तु का पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और इस तरह के कथित पाटन और क्षति के बीच कारण संबंध के बारे में खुद को संतुष्ट करने के बाद और एडी नियमों के नियम 5 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार, प्राधिकारी इसके द्वारा संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विषय वस्तु के संबंध में किसी भी कथित पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटन रोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए एक जांच शुरू करता है, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ञ. प्रक्रिया

22. उक्त नियमों के नियम 6 के तहत निर्धारित सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ट. जानकारी प्रस्तुत करना

23. सभी संचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते- adg14-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in और dd12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में और डेटा फ़ाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में हो।

24. संबंधित देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावासो के माध्यम से विषय देशों की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को जो संबंधित वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें।

25. वर्तमान जांच में भाग लेने के इच्छुक कोई भी पक्ष इस जांच की शुरूआत अधिसूचना के प्रकाशन के 40 दिनों के भीतर या प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई विस्तारित अवधि के भीतर नामित प्राधिकारी के साथ खुद को पंजीकृत कर सकता है। इच्छुक पार्टी के रूप में पंजीकरण के लिए बाद के चरण में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राधिकारी ऐसे अनुरोध के आधार पर अनुरोध की जांच करेगा और उचित समझकर उस पर विचार करेगा।

26. कोई अन्य इच्छुक पार्टी भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से जांच के लिए प्रासंगिक अपनी प्रस्तुतियाँ कर सकती है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पार्टियों को उसी का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

27. इच्छुक पार्टियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय (https://www.dgtr.gov.in/) की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें ताकि जानकारी के साथ-साथ संबंधित जाँच पड़ताल में आगे की प्रक्रियाओं से अपडेट और अवगत रहें।

ठ. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर निम्नलिखित ईमेल पतों adg14-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in और dd12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से नामित प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए या नियमों के नियम 6 (4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित की जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

29. सभी इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) को सूचित करें और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करें।

ड. गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुतीकरण करने या गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले किसी भी पक्ष को नियमों के नियम 7 (2) के संदर्भ में उसी का एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता प्रतिक्रिया / प्रस्तुतियों की अस्वीकृति का कारण बन सकती है।

31. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुति (परिशिष्ट/अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और गैर-गोपनीय संस्करण अलग-अलग दाखिल करने होंगे।

32. गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" प्रस्तुतियों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के अंकन के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण को प्राधिकारी द्वारा गैर-गोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य इच्छुक पक्षों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

33. गैर-गोपनीय संस्करण को गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त हो जाती है (यदि अनुक्रमण संभव नहीं है) और उस जानकारी के आधार पर संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है। गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के सार की उचित समझ हो सके। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश संभव नहीं है, और कारणों का एक बयान कि सारांश क्यू संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

34. इच्छुक पक्ष प्राधिकरण के समक्ष दायर दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 7 दिनों के भीतर अन्य इच्छुक पक्ष द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

35. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि जानकारी का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।

36. गोपनीयता के दावे पर सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण के बिना या अच्छे कारण विवरण के बिना किए गए किसी भी निवेदन को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

ढ. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

37. पंजीकृत इच्छुक दलों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी को अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण और अन्य जानकारी को अन्य सभी इच्छुक पक्षों को ईमेल करें।

ण. असहयोग

38. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस प्रारंभिक अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उचित अवधि के भीतर या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, तो प्राधिकारी ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जैसा कि उचित लगता है।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2024

(Case No. AD(OI)- 05/2024)

Subject: Initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Linear Alkyl Benzene (LAB)" originating in or exported from Iran and Qatar.

F. No. 6/05/2024-DGTR.—1. M/s Tamilnadu Petroproducts Limited and M/s Nirma Limited (hereinafter also referred to as the "applicants") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as "Rules"), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Linear Alkyl Benzene (LAB)" (hereinafter referred to as "subject goods" or "product under consideration" or "PUC"), originating in or exported from Iran and Qatar (hereinafter referred to as "subject countries").

2. The applicants have alleged that material injury and threat of material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports, originating in or exported from the subject countries and have requested for the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject good from the subject countries.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration in the present petition is **"linear alkyl benzene"**. It is commonly known as linear alkyl benzene or LAB in the commercial parlance. The product under consideration includes mixed alkyl benzenes, and specifically **excludes mixed alkyl naphthalenes.**

4. LAB is an organic compound with the formula C6H5CnH2n+1. Typically, 'n' ranges between 10 and 16. It is a colourless and doorless liquid, and is slightly soluble in water. It is considered to be a flammable chemical product. Commercially available LAB is a mixture of substances composed of a benzene ring attached to a single chain of carbon atoms. As such, various isomers are possible since the benzene ring may be positioned at all carbons of the alkyl chain except the terminal carbon.

Unit of measurement

5. The product is generally measured by weight in Kg or MT.

Use

6. The product under consideration acts as a chemical intermediate which is mainly used to produce linear alkyl benzene sulphonate, which is then used for production of laundry detergents, light-duty dishwashing liquids, industrial cleaners and household cleaners.

7. The major raw materials used in the production of LAB are kerosene, extracted paraffins and benzene. Paraffins are extracted from feedstock kerosene using the hydrobon molex process. These paraffins are converted to their olefins, by selective dehydrogenation at high temperature. The olefins are then alkylated to benzene, to form linear alkyl benzene.

Tariff Classification

8. The subject goods are classified under Chapter 38 of Schedule I to the Customs Tariff and have as dedicated code as 3817 00 11. However, the customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration for the proposed investigations.

Customs Duty

9. The subject goods attract a basic customs duty of 7.5% under Schedule I of the Customs Tariff Act.

A. LIKE ARTICLE

10. The applicants have stated that there are no significant differences in the articles produced by the applicants and exported from the subject countries. The articles produced by the applicants and imported from Iran and Qatar are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the articles manufactured by the applicants are technically and commercially substitutable. The applicants have claimed that consumers of the PUC are using the subject goods and the articles manufactured by the applicants interchangeably. Thus, for the present investigation, prima-facie the article produced by the applicants are like article to the product being imported from Iran and Qatar.

B. PCN METHODOLOGY

11. At present, the applicants have not proposed the adoption of any PCN. As per practice, the PCN methodology would be decided post-initiation after inviting comments from all interested parties.

12. The parties in the present investigation may provide their comments on the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days of the circulation of the non-confidential version of documents filed before the Authority

C. SUBJECT COUNTRY

13. The application has been filed seeking initiation of investigation for the imposition of anti-dumping duty on imports from Iran and Qatar.

D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

14. The period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is 1st October, 2022 to 30th September,2023(12 months). The injury investigation period covers the periods 1st April 2020 - 31st March 2021, 1st April 2021 - 31st March 2022, 1st April 2022 – 31st March 2023 and the POI.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

15. The application has been filed by Tamilnadu Petroproducts Limited and Nirma Limited. As per the information given in petition, Reliance Industries Ltd and Indian Oil Corporation Limited (IOCL) are the other producer producing linear alkyl benzene in India. Such other producers have neither supported nor opposed the present application.

16. As per prima-facie facts furnished in the petition, the domestic industry has a significant proportion of the total production and constitute domestic industry as defined under Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Anti-dumping Rules, 1995.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

Normal Value for Iran and Qatar

17. The applicants have stated that they did not have access to the domestic selling prices in Iran & Qatar and were unable to obtain accurate information regarding transaction prices at which the subject goods are exported from Iran to third countries. Further, the applicants made efforts to obtain information relating to exports from and imports into Iran, but such information was not publicly available. Thus the normal value has been constructed on the basis of the estimates of cost of production duly adjusted for the subject countries.

Export Price

18. The export price for the subject goods has been computed based on the DGCI& S transaction-wise import data. Appropriate price adjustments have been claimed to make the prices at ex-factory levels so that they become comparable with normal value.

Dumping Margin

19. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie shows that the dumping margin is above the de-minimis level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject countries. Thus, there is sufficient prima facie evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject countries.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

20. Information furnished by the applicants have been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished evidence regarding the injury that took place as a result of the alleged dumping in the form of an increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production or consumption in India, price undercutting, price underselling and price suppressing and depressing effect on the domestic industry. The applicants have claimed that their performance has been adversely impacted in respect of sales, profitability, return on investment, accumulation of inventories and capacity utilization as a result of an increase in imports of products under consideration at an injurious price for the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence that the injury is being caused to the domestic industry by dumped imports from the subject countries.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

21. On the basis of the duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

22. The principles as stipulated under Rule 6 of the said Rules shall be followed in the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

23. All communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg14-dgtr@gov.in , adv13-dgtr@gov.in , dd16-dgtr@gov.in and dd12-dgtr@gov.in . It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

24. The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their embassies in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.

25. Any party interested to participate in the present investigation may register themselves with the Designated Authority within 40 days of the publication of the initiation notification of this investigation or such extended period as may be allowed by the Authority. Any request at a later stage for registration as an interested party shall not be entertained. The Authority on the basis of such request, will examine and consider the request, as appropriate.

26. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

27. Interested parties are further directed to keep regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay updated and apprised with the information as well further processes related to the investigation.

K. TIME LIMIT

28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the following email addresses adg14-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in and dd12-dgtr@gov.in within thirty (30) days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the

Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON A CONFIDENTIAL BASIS

30. Any party making any confidential submissions or providing information on a confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

31. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

32. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

33. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

34. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by other interested party within 7 days of the circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority.

35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

37. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

N. NON-COOPERATION

38. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.04.01 20:18:31 +05'30'